न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/35/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/191

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री कैलाशचन्द सैनी पुत्र श्री रामसिंह सैनी, नि0 वार्ड नं.11, कजोडी मौहल्ला, खेरली तहसील–कठूमर (अलवर)राज.–321606		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 09.05.2025
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.05.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन कियागया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 28.03.2025 के द्वारा "अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेरली (अलवर) द्वारा जारी पट्टा सं0 4087 दिनांकः 29.12.2012 को निरस्त किए जाने बाबत प्रस्तुत परिवेदना–पत्र दिनांकः 22.02.2025 एवं प्रा0पत्र दिनांकः 18.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत दस्तावेजी सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 146 दिनांकः 20.05.2025 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 18.03.2025 एवं तत्संबंधी आवेदन दिनांकः 28.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. आरटीआई/2025/975 दिनांकः 17.04.2025 के माध्यम से अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचित किया जा चुका है, उक्त पत्र पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी अंकित हैं।
7. अतः उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी अ**स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है तथापि लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपील/सूचना आवेदन में वांछित पट्टे से संबंधित अद्यतन सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. आज दिनांकः 28.05.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)